

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

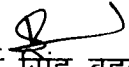
// आदेश //

क्रमांक 8/1065 /

जबलपुर, दिनांक 10/02/2026

दो-13-5/26

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार श्री प्रेम कुमार पाण्डे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 31.12.2025 पर पात्रता अनुसार 202 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

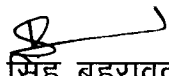
पृष्ठांकन क्र. 8/1066 /

जबलपुर, दिनांक 10/02/2026

दो-13-5/26

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
2. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर,
5. श्री प्रेम कुमार पाण्डे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)